विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अध्यापकों के लिए अनुसंधान परियोजना

XIवीं योजना के मुख्य एवं लघु

दिशा–निर्देश

(2007–2012**)**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली–110002
इमेल– **ugc@bol.net.in**
वेबसाइट : **www.ugc.ac.in**

अध्यापकों के लिए अनुसंधान परियोजनाएं : मुख्य एवं लघु

1.परिचय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य, प्योर सांइस, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी,फार्मेसी,चिकित्सा, कृषि विज्ञान आदि जैसे उभरते विषयों में अध्यापन एवं अनुसंधान के संवर्धन का प्रयास कर रहा है। आयोग का जोर विभिन्न विषयों एवं क्षेत्रों के सीमाओ के पार ऐसे विषयों जैसे स्वास्थ्य,जराचिकित्सा, पर्यावरण, जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म प्रौद्योगिकी,प्रतिबल प्रबंधन, डब्लूटीओ और अर्थव्यवस्था, इतिहास विज्ञान, एशिया दर्शन एवं विषयों के विशेषज्ञों द्वारा पहचान किए गए क्षेत्रों पर उसके प्रभाव पर रहा है।

कुछ ऐसे विषय जैसे रक्षा एवं युद्धनीति अध्ययन भी हैं जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों, बीमा एवं बैंकिंग, अर्थशास्त्र एवं विश्व व्यापार जो वास्तव में बहुविषयक प्रकृति का है, शामिल है, जो विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान की सीमाओं में न बंधकर आज के बदलते वैश्विक परिदृश्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इनसे और उनसे संबंधित विषयों के अध्ययन तथा अनुसंधान को और अधिक संगठित तरीके से करने की आवश्यकता है। इन गतिविधियों को संस्थागत रूप देना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है।

2. उद्देश्य

विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय एवं कालेज अध्यापकों के अनुसंधान कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करते हुए उच्च शिक्षा के अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।

परंपरागत रूप से अनुसंधान का केंद्र विश्वविद्यालय रहे हैं। यद्यपि, अनुसंधान वं विकास के लिए सरकार के पास विज्ञान एवं तकनीकी प्रौद्योगिकी लेबरोटरीज हैं, लेकिन विज्ञान एवं तकनीकी प्रौद्योगिकी में अनुसंधान का मुख्य आधार विश्वविद्यालय ही हैं। इस प्रकार विश्वविद्यालय एवं कालेजों के अध्यापकों को इस जरूरत को पूरा करने के लिए सहयोग की आवश्यकता है।

3. पात्रता/लक्षित समूह

3.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केवल (यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 2(एफ) 12 (बी) के अंतर्गत) विश्वविद्यालयों एवं कालेजों के स्थायी/नियमित, कार्यरत/सेवानिवृत्त अध्यापकों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रस्तावों को प्रायोजित करने वाले कालेजों एवं विश्वविद्यालयों के पास अनुसंधान की समुचित सुविधाएं होनी चाहिए। अनुसंधान परियोजना व्यक्तिगत अध्यापक या अध्यापकों के समूह द्वारा की जा सकती है। परियोजना/अध्ययन की प्रकृति के आधार पर यूजीसी द्वारा वित्तीय सहयोग की प्रमात्रा का निर्णय लिया जाएगा। **उपकुलपति, प्राधानाचार्य, पुस्तकालयअध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षा के अध्यापक भी इस योजना के पात्र होंगे।**

ऐसे मामले में जहां संयुक्त रूप से परियोजना कार्य किया जाता है तो उन अध्यापकों में से एक मुख्य अन्वेषक के रूप में कार्य करेंगे तथा वे परियोजना से संबंधित सभी विषयों के लिए जिम्मेदार होंगे।

ऐसे अध्यापक जो कार्यरत/सेवानिवृत्त हो गए हों वे किसी भी समय यूजीसी की केवल एक परियोजना/योजना पर ही कार्य कर सकेंगे। **पहला प्रस्ताव मिलने एवं स्वीकार करने के बाद मुख्य अन्वेषक/सह–अन्वेषक, के विचार के बिना पहला प्रस्ताव पूरा होने के बाद ही दूसरा प्रस्ताव स्वीकार्य होगा। इस नियम का अनुपालन न होने पर मुख्य अन्वेषक/सह–अन्वेषक एवं संस्थाओं को सभी योजनाओं में यूजीसी द्वारा दी गई पूरी राशि वापस करनी होगी। उन्हें भविष्य के यूजीसी कार्यक्रमों की सहभागिता से भी रोक दिया जाएगा। परियोजना की पूरी जिम्मेदारी मुख्य अन्वेषक/सह–अन्वेषक एवं आतिथेय संस्था की होगी। एक परियोजना समाप्त होने के बाद, यदि अध्यापक यूजीसी की अन्य परियोजना पर कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए एक वर्ष का अंतराल अनिवार्य है। उपरोक्त समाप्त परियोजना से पुस्तक/लेख/सेमिनार में दी गई प्रस्तुति आदि के दो पेपरों को मुख्य अन्वेषक द्वारा प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित करना होगा।**

इस योजना के अंतर्गत 70 वर्ष तक की उम्र के सेवानिवृत्त अध्यापक भी भाग ले सकते है। सेवानिवृत्त अध्यापकों के मामले में, वहां के विभाग से सहःअन्वेषक (स्थायी अध्यापक) होना चाहिए जहां परियोजना कार्य होना है।

आयोग द्वारा कालेज एवं **विश्वविद्यालय के अध्यापकों अधिमान्यतः प्राध्यापकों को** वरीयता दी जाएगी जो अनुमोदित पर्यवेक्षक के अधीन अध्यापन कार्य, लघु अनुसंधान परियोजना या डोक्टोरेट डिग्री हेतु कार्य करने की इच्छा रखते हों। लघु अनुसंधान परियोजना के लिए सेवानिवृत्त अध्यापक पात्र नहीं होंगे।

4. सहायता की प्रकृतिः

अनुसंधान परियोजना के लिए सहायता की प्रमात्रा इस प्रकार हैः

–विज्ञान के अंतर्गत मुख्य अनुसंधान परियोजना में इंजीनियरिंग एंव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, फार्मेसी कृषि आदि शामिल है– 12 लाख रू.

–मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य, कला, लॉ एवं उससे संबंधित विषयों में मुख्य अनुसंधान परियोजना – 10 लाख रू.

–लघु अनुसंधान परियोजना – **विज्ञान** **–2 लाख रू.**
मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान **–1.5 लाख रू.**

आयोग द्वारा उपस्कर, पुस्तकें एवं पत्रिकाएं, अनुसंधान कार्मिक (पोस्ट डोक्टोरल फेला, प्रोजेक्ट एसोसिएट्स या प्रोजेक्ट फेला) किराए पर सेवाएं, आकस्मिक व्यय, केमिकल एवं उपभोज्य, यात्रा एवं फील्ड कार्य एवं विशेष आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यद्यपि, लघु अनुसंधान में अनुसंधान कार्मिक से संबंधित सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

क. उपस्कर

प्रस्तावित अनुसंधान कार्य के लिए जरूरत पड़ने वाले उपस्करों की खरीद के लिए उपस्कर अनुदान का उपयोग किया जा सकता है।

– मंजूर उपस्कर की लागत में यदि कोई वृद्धि होती है तो आयोग को सूचित करते हुए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार/उपकुलपति द्वारा उस वृद्धि को अन्य शीर्षों जैसे बचत/पुर्न विनियोजन से पूरा किया जाए

– मुख्य एवं लघु अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत मुख्य अन्वेषक द्वारा लिए गए उपस्करों को परियोजना समाप्त होने के बाद विश्वविद्यालय/कालेज/संस्था को जमा कराना होगा। ये सभी विश्वविद्यालय की संपत्ति मानी जाएगी।

– आयोग द्वारा मंजूर निधियों से विश्वविद्यालय/कालेज/संस्था द्वारा एक लाख रू. या उससे ज्यादा लागत वाले खरीदे गए उपस्करों को अन्य संस्था में स्थानांतरित करने का अधिकार आायोग के पास होगा।

– विश्वविद्यालय/कालेज/संस्था को इस बात के पूरे प्रयास करने होंगे कि वे प्रभावी उपयोग के लिए सभी उपस्कर को लेबरोटरी में उपलब्ध कराएं। उपस्कर के लिए आवंटित अधिकतम 5 प्रतिशत का उपयोग अनुरक्षण/स्पेअर/सर्विस कांट्रेट की खरीद के लिए किया जा सकता है।

ख. पुस्तकें एवं पत्रिकाएं

मुख्य एवं लघु अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत मुख्य अन्वेषक द्वारा खरीदी गई पुस्तकें एवं पत्रिकाएं को परियोजना समाप्त होने के बाद या तो विभागीय पुस्तकालय या केंद्रीय पुस्तकालय में जमा कराया जाए। ये सभी विश्वविद्यालय की संपत्ति मानी जाएगी।

ग. सेवानिवृत्त अध्यापकों को मानदेय

70 वर्ष तक की उम्र वाले सेवानिवृत्त अध्यापकों को 12000/–रू. प्रति माह की अनुमत राशि का मानदेय दिया जाएगा। परियोजना अवधि के दौरान यदि मुख्य अन्वेषक 70 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं तथा परियोजना के लिए कुछ और कार्य करने की जरूरत होगी, तो उस स्थिति में मुख्य अन्वेषक को बाकी बची अवधि का कार्य बिना किसी मानदेय के करना होगा। यदि अध्यापक परियोजना अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो वे मानदेय पाने के पात्र ह्येंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें जन्म तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि तथा वे कहीं और रोजगार में नहीं है या सरकारी/गैर–सरकारी संगठनों से कोई मानदेय नहीं प्राप्त कर रहे हैं का विधिवत अधिकृत शपथ का हलफनामा देना होगा। इस हलफनामे में विभागाध्यक्ष/डीन एवं संस्था के मुखिया उसमें ग्वाह होंगे।

(घ) अनुसंधान कार्मिक

परियोजना अवधि के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान स्टाफ को नियुक्त करने के लिए यूजीसी द्वारा सहायता उपलब्ध एवं मंजूर की जा सकती है। परियोजना अवधि के दौरान अनुसंधान कार्मिक अन्य स्रोतों से कोई अन्य प्रदत्त नियुक्ति या अन्य प्रकार से परिलब्धि, वेतन,वजीफा आदि को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें मुख्य अन्वेषक के साथ अनुसंधान पर पूर्णकालिक तरीके से कार्य करना होगा।

(i) पोस्ट डोक्टोरल फेलो

45 वर्ष से नीचे के उम्मीदवार जिनके पास डोक्टोरल डिग्री होगी और संबंधित क्षेत्र में उनका अनुसंधान कार्य प्रकाशित होगा को पोस्ट डोक्टोरल फेलो के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। पोस्ट डोक्टोरल फेलो के लिए प्रति माह 12000/–रू. (नियत) की परिलब्धि + एचआरए देय होगा।

(ii) प्रोजेक्ट एसोसिएट्स

नेट–जेआरएफ/लेक्चररशिप एवं एसएलइटी की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को प्रोजेक्ट एसोसिएट्स नियुक्त किया जा सकता है। पीएच.डी/एमफिल डिग्री होल्डर,एम.इ., एमटेक एवं एम.फार्म की की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को प्रोजेक्ट एसोसिएट्स नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्ति के समय उम्मीदवार की उम्र 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।

प्रति माह 10,000/–रू. (नियत) की परिलब्धि + एचआरए देय होगा।

(iii) प्रोजेक्ट फेलो

प्रोजेक्ट फेलो को प्रति माह समेकित रूप से 8000/–रू. + एचआरए देय होगा। जिस व्यक्ति को प्रोजेक्ट फेलो के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा उसके पास कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ एमए की द्वितीय श्रेणी की डिग्री (अज/जजा/शा.वि के मामले में 50 प्रतिशत) या उसके पास संबंधित विषय में एमफिल की डिग्री हो। जिन उम्मीदवारों के पास बी.इ./बीटेक.डिग्री और एम.बी.बी.एस. डिग्री होगी वे भी इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा क्षेत्र में क्रमशः में प्रोजेक्ट फेलो की नियुक्त होने के पात्र होंगे। नियुक्ति के समय उम्मीदवार की उम्र 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।

गृह किराया भत्ता (एचआरए)

पोस्ट डोक्टोरल फेलो/प्रोजेक्ट एसोसिएट्स/प्रोजेक्ट फेलो को उचित हॉस्टल प्रकार का आवास उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसा न होने पर विश्वविद्यालय/संस्था के नियमों के अनुसार ये सभी एचआरए पाने के पात्र होंगे। जिन पोस्ट डोक्टोरल फेलो/प्रोजेक्ट एसोसिएट्स/प्रोजेक्ट फेलो को हॉस्टल में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और जिसे संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुरक्षण किया जाएगा वे हॉस्टल फीस की प्रतिपूर्ति करा सकते हैं।

अवकाश

विश्वविद्यालय/संस्था के नियमों के अनुसार पोस्ट डोक्टोरल फेलो/प्रोजेक्ट एसोसिएट्स अवकाश प्राप्त करने के पात्र होंगे। महिला एवार्डी को एवार्ड की अवधि के दौरान एक बार चार महीनों तक की अवधि का पूर्ण दरों के साथ प्रसूति अवकाश देय होगा

अनुसंधान कार्मिक हालांकि, ग्रीष्मकालीन,शीतकालीन एवं पूजा अवकाश के पात्र नहीं होंगे।

चिकित्सा सुविधाएं

विश्वविद्यालय/संस्था के नियमों के अनुसार अनुसंधान कार्मिक को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन, इस मद में यूजीसी किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं देगी।

चयन का प्रकार

विधिवत गठित चयन समिति द्वारा द्वारा खुली चयन प्रक्रिया द्वारा पोस्ट डोक्टोरल फेलो/प्रोजेक्ट एसोसिएट्स/प्रोजेक्ट फेलो का चयन किया जाएगा। चयन समिति गठन में निम्न सदस्य शामिल होंगेः

1 विभाग के मुखिया इसके अध्यक्ष होंगे।

2 एक विषय के विशेषज्ञ (बाहरी) होंगे (जहां परियोजना चल रही होगी उस संस्थान से अलग संस्थान से)

3 उप कुलपति/संस्था के मुखिया/प्रधानाचार्य (कालेज के मामले में) द्वारा नामित

4 मुख्य अन्वेषक

नियुक्ति में मुख्य अन्वेषक के विचारों को महत्ता दी जाए।

(क) विषय के एक विशेषज्ञ (बाहरी) सहित तीन सदस्यों से कोरम पूरा माना जाएगा

(ख) स्वयं विश्वविद्यालय/कालेजों द्वारा अपने स्तर पर यूजीसी मानकों को ध्यान में रखते हुए पोस्ट डोक्टोरल फेलो/प्रोजेक्ट एसोसिएट्स/प्रोजेक्ट फेलो या अन्य सहायता परियोजना को दे सकती है। यूजीसी को इसकी सूचना (अनुबंध IX) पर उपलब्ध प्रपत्र में दी जा सकती है।

(ग) विश्वविद्यालय/कालेज को यह सत्यापित करना होगा कि पोस्ट डोक्टोरल फेलो/प्रोजेक्ट एसोसिएट्स/प्रोजेक्ट फेलो की नियुक्ति करते समय यूजीसी के सभी मानकों का पालन किया गया है।

(घ) पोस्ट डोक्टोरल फेलो/प्रोजेक्ट एसोसिएट्स/प्रोजेक्ट फेलो की कार्यग्रहण तिथि से विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा फेलोशिप राशि संवितरित की जाएगी। मुख्य अन्वेषक को जारी की गई पहली किस्त में प्रोजेक्ट फेलो के वेतन का 50 प्रतिशत भी उसमें शामिल होगा।

(घ) भाड़े पर ली गई सेवाएं

परियोजना को लागू करने के लिए आवश्यक अन्य तकनीकी स्टाफ को संविदा आधार पर नियत अवधि के लिए नियत राशि पर भाड़े पर लिया जा सकता है। भाड़े पर ली गई सेवाओं के मद में अनुसंधान निधि के उपयोग का तौर तरीका इस प्रकार होगा :–

– इसका तात्पर्य यह है कि विशेषज्ञ तकनीकी कार्य के लिए संस्थागत सेवाएं जैसे नमूना विश्लेषण, जिसके लिए विश्वविद्यालय/संस्था के पास न तो बुनियादी सुविधाएं या इस प्रकार की सेवाएं जो भुगतान आधारित हों।

– दैनिक पत्राचार को छोड़कर, प्रश्नावली/अनुसूची या रिपोर्ट लिखने के प्रयोजन हेतु स्टेनोग्राफिक सेवाएं भाड़े पर ली जा सकती हैं।

– केवल अभियान, फील्ड कार्य के लिए दैनिक मजदूरी पर कुशल/अर्द्धकुशल कामगारों को रखा जा सकता है। इसमें चपरासी, परिचर, लैब परिचर, क्लर्क, एकाउंटेट आदि शामिल नहीं है।

– ऐसे मुख्य अन्वेषक जिन्हें नियमित आधार पर अनुसंधान कार्मिक नहीं दिया गया है, वे तकनीकी सहायता के लिए भाड़े पर व्यक्ति रख सकते हैं और जिसे इस कार्य के लिए रखा गया होगा वे अनिवार्य रूप से प्रोजेक्ट फेलो की निर्धारित अर्हता को पूरा करते हों। इन्हें प्रोजेक्ट फेलो के बराबर पारिश्रमिक दिया जाएगा तथा जिसकी समय सीमा कुल परियोजना अवधि की अधिकतम 6 महीने होगी।

– परामर्शी फीस आदि के भुगतान पर हुए खर्चे इस शीर्ष में शामिल होंगे, यदि मुख्य अन्वेषक और सह–अन्वेष्कों की संस्था से बाहर के व्यक्ति को भुगतान किया गया हो। जहां तक संभव हो, परामर्शी फीस का भुगतान केवल कुछ संगठित एजेंसियों को ही किया जाए।

(च) आकस्मिक व्यय

- – अनुमत आकस्मिक अनुदान का उपयोग परियोजना से संबंधित उपकरण के अत्तिरिक्त पुर्जे, फोटोस्टेट की कापियां एवं लघुचित्र, टाइपिंग, स्टेशनरी, डाक, टेलिफोन कॉल्स, इंटरनेट,फैक्स, कंप्यूटेशन एवं प्रिंटिंग पर किया जा सकता है।
- – **विशेष आवश्यकताः** परियोजना से संबंधित किसी प्रकार की विशेष आवश्यकता के लिए सहायता दी जा सकती है जो योजना के सहायता 'शीर्ष' में शामिल नहीं है।
- – आकस्मिक अनुदान अभिप्राय यह नहीं है कि इसका उपयोग फर्नीचर आदि पर किया जाए। साामानयतः इन मदों को विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तथा अनुसंधान कार्मिक की परीक्षा फीस का भुगतान भी किया जाता है।
- – अनुसंधान कार्मिक पद के विज्ञापन का व्यय, और आडिट फीस का दावा आकस्मिक शीर्ष में किया जा सकता है।

(छ) केमिकल्स एवं उपभोज्य वस्तुएं

केमिकल्स, ग्लासवेयर एवं अन्य उपभोज्य मदों के व्यय के लिए

(ज) यात्रा एवं फील्ड कार्य

यात्रा एवं फील्ड कार्य के शीर्ष के अंतर्गत अनुसंधान निधियों के उपयोग का तौरतरीकाः–

- – यात्रा एवं फील्ड कार्य के शीर्ष के अंतर्गत आवंटित राशि का उपयोग केवल जारी परियोजना के लिए किया जाएगा। इसका उपयोग सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशाला में भाग लेने के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिए असमनुदेशित अनुदान योजना के अंतर्गत एवं कालेज अध्यापकों के लिए विकास अनुदान योजना के अंतर्गत अलग प्रावधान उपलब्ध है। इस राशि का उपयोग किसी प्रकार के अन्य किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भी नहीं किया जाएगा। यात्रा एवं फील्ड कार्य केवल आंकड़े एकत्रित करने एवं अन्य सुचनाएं जैसे परामर्शी, दस्तावेज एवं पुस्तकालय की साामान्य परीधि एवं परियोजना के पुर्जों के लिए किया जाएगा। इस योजना के अधीन विदेश यात्रा की अनुमति नहीं होगीा।

– यूजीसी से संबंधित मंजूर परियोजना के लिए यात्रा शीर्ष के अंतर्गत आवंटित राशि के भीतर विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार मुख्य अन्वेषक को अपनी कार/टैक्सी से शहर के बाहर फील्ड कार्य की अनुमति होगी।

(i) **सांस्थानिक उपरीव्यय**

आतिथेय संस्था को उपरीव्यय लागत के रूप में मंजूर आवर्ती अनुदान (यात्रा एवं फील्ड कार्य को छोड़कर) का 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) का अत्तिरिक्त अनुदान दिया जाएगा जिससे उन्हें आधारभूत सुविधाएं जिसमें कार्यालय सहयोग, प्रशासनिक एवं लेखा सेवाएं और परियोजना समाप्त होने पर प्रोजेक्ट कर्मी मूल्यांकनकर्ता (यूजीसी द्वारा नियुक्त) का मानदेय शामिल है। अंतिम रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए प्रत्येक विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ता को 2500/– रू. की राशि का भुगतान किया जाएगा। (निधियों के पुर्नविनियोजन के मामले में उपरीव्यय के लिए आवंटित राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा और उसे पुर्न–विनियोजित नहीं किया जा सकेगा)

(ii) **पुर्नविनियोजन**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आरंभ में मामले दर मामले आधार पर परियोजना के लिए आवंटित निधियों का पुर्नविनियोजन पर विचार कर सकता है। गैर–आवर्ती से आवर्ती को पुर्नविनियोजित करने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक शीर्ष (आवर्ती) के अंतर्गत आंवटित अनुदान का 20 प्रतिशत तक का पुर्नविनियोजन मुख्य अन्वेषक द्वारा किया जा सकता है। पुर्नविनियोजन के लिए रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य के माध्यम से मुख्य अन्वेषक को इसकी सूचना पूर्ण औचित्य के साथ यूजीसी को देनी होगी। फेलोशिप से संबंधित अनुदान का पुर्नविनियोजन नहीं किया जा सकेगा।

(झ) अवधि

मानविकी, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा के मुख्य अनुसंधान परियोजना की अवधि 24 महीने होगी और विज्ञान एवं इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की अवधि 6 महीने के विस्तार सहित 36 महीने होगी। केवल विशेष परिस्थितियों में बिना किसी वित्तीय सहायता के विस्तार की अनुमति होगी। विस्तारित अवधि के दौरान सेवानिवृत्त अध्यापकों को मानदेय एवं अनुसंधान कार्मिक को फेलोशिप उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। 3 महीने के विस्तार सहित लघु अनुसंधान परियोजना की अवधि 18 महीने की होगी।

(ञ) क्रियान्वयन की तिथि

आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट एवं संस्था द्वारा निधि प्राप्ति की तिथि परियोजना के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि होगी।

5. आवेदन की प्रक्रिया

सभी योग्य कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अध्यापक, उप कुलपति, प्रधानाचार्य, पुस्तकालय, शारीरिक शिक्षा के निदेशक जो विश्वविद्यालय/कालेज से मुख्य अनुसंधान परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं वे अपना प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध–I) में संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था के माध्यम से यूजीसी, प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली को भेज दें।

विश्वविद्यालय के अध्यापक जो लघु परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं वे अपना प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध–I) में संबंधित विश्वविद्यालय के माध्यम से यूजीसी, प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली को भेज दें।

कालेज के अध्यापक जो लघु परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं वे अपना प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध–II) में भोपाल, कोलकोता, गुवाहाटी, हैदराबाद, बंगलौर एवं पुणे में स्थित यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दें। (अनुबंध–XI पर क्षेत्रीय कार्यालय की सूची संलग्न है)। उत्तरी क्षेत्र जिसमें दिल्ली शामिल है के कालेजों के अध्यापक यूजीसी नार्थन रिजन कालेज ब्यूरो 35 फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली–110001 में आवेदन दे सकते हैं।

वर्ष के दौरान प्रस्ताव किसी भी समय भेजा जा सकता है। लेकिन, आयोग द्वारा प्रस्ताव का मूल्यांकन साल में दो बार किया जाता है।

6. मंजूरी की प्रक्रिया

मुख्य अनुसंधान परियोजना

प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली के प्रयोजन हेतु मुख्य अनुसंधान परियोजना के लिए विश्वविद्यालय/कालेज से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त प्रस्तावों को यूजीसीयूजीसी के अध्यक्ष द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा छानबीन की जाएगी। मुख्य अन्वेषकों जिनके प्रस्ताव का चयन छानबीन समिति द्वारा कर लिया गया होगा उन्हें अध्यक्ष द्वारा गठित विषेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुती प्रस्तुत करनी होगी। मुख्य अन्वेषक को कोई टीए/डीए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तथा उनकी अनुपस्थिति में प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अनुपस्थितियों को नए सिरे से प्रस्ताव विचार हेतु भेजना होगा। विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई सिफारिशों एवं योजना के पास उपलब्ध निधियों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

लघु अनुसंधान परियोजना

यूजीसी के प्रधान कार्यालय,नई दिल्ली स्थित विशेषज्ञ समिति द्वारा लघु अनुसंधान परियोजना के लिए विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। यूजीसी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा लघु अनुसंधान परियोजना के लिए कालेजों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई सिफारिशों एवं योजना के पास उपलब्ध निधियों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

7. अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

विश्वविद्यालयः

अनुदान की पहली किस्त में उपरीव्यय शुल्क सहित गैर–आवर्ति का शतप्रतिशत और परियोजना की कुल अवधि के लिए आयोग द्वारा मंजूर आवर्ती अनुदान का 50 प्रतिशत शामिल है। यूजीसी प्रधान कार्यालय,नई दिल्ली द्वारा विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को बलोक अनुदान के रूप में अनुदान जारी किया जाएगा। मुख्य अन्वेषकों को उनकी वार्षिक/प्रगति /अंतिम रिपोर्ट, व्यय का विवरण एवं उपयोग प्रमाणपत्र विश्वविद्यालय को जमा कराने होंगे। इसके बाद से विश्वविद्यालय की यह जिम्मेदारी होगी कि वे यूजीसी को उपयोग प्रमाणपत्र जमा कराएं। मंजूरी पत्र में उल्लेखित मंजूर आबंटन सीमा के भीतर अनुमोदित शीर्ष/मदों के अनुसार जारी राशि खर्च की जाए। अनुदान जारी करने के एक वर्ष के भीतर यदि गैर–आवर्ती अनुदान को खर्च नहीं किया जाता है तो इसके लिए विश्वविद्यालय के उप कुलपति से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

कालेजः

कालेज से संबंधित मुख्य अनुसंधान परियोजना के मामले में, यूजीसी प्रधान कार्यालय,नई दिल्ली द्वारा चयन किया जाएगा। मंजूरी के बाद, आगे की कार्रवाई एवं दिशानिर्देशों के अनुसार अनुदान जारी करने के लिए मुख्य परियोजनाओं को यूजीसी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

अनुदान की पहली किस्त में उपरीव्यय शुल्क सहित गैर–आवर्ति का शतप्रतिशत और परियोजना की कुल अवधि के लिए आयोग द्वारा मंजूर आवर्ती अनुदान का 50 प्रतिशत शामिल है। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कालेज के प्राधानाचार्य को अनुदान जारी किया जाएगा। कालेज के प्रधानाचार्य की यह जिम्मेदारी होगी कि वे यूजीसी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को उपयोग प्रमाणपत्र जमा कराएं। मंजूरी पत्र में उल्लेखित मंजूर आबंटन सीमा के भीतर अनुमोदित शीर्ष/मदों के अनुसार जारी राशि खर्च की जाए। अनुदान जारी करने के एक वर्ष के भीतर यदि गैर–आवर्ती अनुदान को खर्च नहीं किया जाता है तो इसके लिए विश्वविद्यालय के यूजीसी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

विश्वविद्यालयों/कालेजों की दूसरी किस्त पूर्व में लिए गए अनुदान का जिसमें कुल आवर्ती आबंटन का 40 प्रतिशत शामिल है का कम से कम 80 प्रतिशत का उपयोग करने एवं प्रगति रिपोर्ट की प्राप्ति, उपयोग प्रमाण पत्र तथा संस्था के रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य/मुखिया द्वारा विधिवत सत्यापित मद–वार व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त होने के बाद जारी की जाएगी।

(अनुबंध III से VI)

रिपोर्ट सौंपना एवं अंतिम अनुदान जारी करनाः

अंतिम रिपोर्ट की मूल्यांकन के लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी देते समय यूजीसी द्वारा विषय के दो विशेषज्ञों को नामित किया जाएगा। परियोजना समाप्त होने पर रजिस्ट्रार के माध्यम से मुख्य अन्वेषक को परियोजना की मंजूरी के समय यूजीसी द्वारा नियुक्त किए गए विषय के दो विशेषज्ञों को इ–रूप में अपनी रिपोर्ट जमा करानी होगी। मूल्यांकित रिपोर्ट वापस प्राप्त होने पर मुख्य अन्वेषक को इ–रूप में /सी डी में यूजीसी को भेजनी होगी,जिससे उसे वेबसाइट पर डाला जा सके।

परियोजना की समाप्ति के लिए (आवर्ती आबंटन की मंजूरी का 10 प्रतिशत तक) आगे और राशि की जरूरत पड़ने पर विश्वविद्यालय /कालेज/संस्था द्वारा मुख्य अन्वेषक को अग्रिम दिया जा सकता है, दो विशेषज्ञों से विश्वविद्यालय /कालेज/संस्था को अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है। निम्नलिखित दस्तोवज प्राप्त होने के बाद यूजीसी द्वारा अनुदानक का अंतिम 10 प्रतिशत जारी किया जाएगा।

i) सीडी/फ़लापी में परियोजना कार्य की अंतिम रिपोर्ट की प्रति। विश्वविद्यालय /कालेज की वेबसाइट पर रिपोर्ट की एगजीक्यूटिव समरी उपलब्ध होने के बाद। यह अनिवार्य शर्त है।

ii) (अनुबंध VIII) में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट।

iii) परियोजना के अंतर्गत नियुक्त किए गए स्टाफ के वेतन से संबंधित विस्तृत व्यय का माह–वार एवं वर्ष–वार विवरण।

iv) रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्र में परियोजना को पूरा करने की अवधि के दौरान समेकित मद–वार खर्च की गई राशि का विस्तृत विवरण।

v) सरकारी आंतरिक/सनदी लेखाकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में परियोजना में वास्तव में खर्च की गई राशि का विधिवत हस्ताक्षरित एवं सीलबंद समेकित लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाणपत्र।

vi) अनुपयोग किया गया अनुदान यदि कोई हो, को सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, देय नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा तुरंत वापस कर करना होगा। ऐसे मामले में जहां अनुदान यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किए जाने पर, उसे संबद्ध क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी के नाम से भेजा जाए।

मंजूरी पत्र के जारी होने के एवं परियोजना अवधि की समाप्ति के बाद खर्च की गई राशि मंजूर की जाएगी।

मुख्य अन्वेषक/संस्था से यह अपेक्षा की जाती है कि वे परियोजना समाप्त होने के तुरंत बाद अपने लेखों का समायोजन कर दें। **ऐसे मामले में जहां परियोजना समाप्त होने की तिथि के छह महीने के भीतर अनुदान का दावा नहीं किया जाता तो समाप्त कर दिया जाएगा और इस बारे में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले में जहा सांविधिक लेखापरीक्षक से उपयोग प्रमाणपत्र में हुई देरी होने पर; सनदीलेखाकार से छह महीने के भीतर उपयोग प्रमाणपत्र जमा करा दिया जाए।**

8. निगरानी एवं मूल्यांकन

किए गए कार्य की सार सहित वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के आठ सप्ताह के भीतर अनुबंध IV के अनुसार अनिवार्यतः जमा की जाए।

यूजीसी द्वारा अपने प्रधान कार्यालय में **उन सभी योजनाओं का जो एक से दो साल की अवधि पूरी कर चुके हैं** की जारी विश्वविद्यालय की सभी मुख्य अनुसंधान परियोजनाओं एवं संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में जारी परियोजनाओं की मध्यावाधि समूह समीक्षा का आयोजन किया जाता है, जहां आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष मुख्य अन्वेषक को उनके द्वारा किए गए कार्य की प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मध्यावधि समीक्षा पर खर्च होने वाली राशि को परियोजना निधि से पूरा किया जाए।

यूजीसी की मध्यावधि मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर परियोजना को जारी रखने पर निर्णय लिया जाता है। यदि मुख्य अन्वेषक मध्यावधि समीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं हो पाता है तो सामान्य परिस्थितियों में समिति परियोजना को जारी/रद्द कर सकती है और मुख्य अन्वेषक द्वारा पूरी राशि यूजीसी को वापस करनी होगी।

9. सामान्य

क मंजूरी पत्र प्राप्त होने पर मुख्य अन्वेषक/विश्वविद्यालय या कालेज को परियोजना लागू करने की अपनी सहमति से आयोग को अवगत कराना होगा और सहमति प्रमाण पत्र (अनुबंध–VII) भेजना होगा। सहमति प्रमाणपत्र को मंजूरी पत्र जारी होने की तिथि से तीन महीने के भीतर भेजना होगा, अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि मुख्य अन्वेषक की परियोजना को लागू करने में कोई रूचि नहीं है और दी गई मंजूरी को वापस ले लिया जाएगा।

ख विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मंजूर/भुगतान निधि को निवेश करने के बाद अर्जित ब्याज को अत्तिरिकत अनुदान माना जाएगा और उसे विश्वविद्यालय के लेखे में दर्शाया जाएगा। इसके अलावा साल में एक बार अर्जित ब्याज की मंजूरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से लेनी होगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए अत्तिरिकत अनुदान माना जाएगा। यदि राशि खर्च नहीं की जाती है तो यूजीसी को वह राशि वापस करनी होगी।

ग किसी भी मामले में मुख्य अन्वेषक की इच्छा से परियोजना हस्तांतरणीय नहीं होगी। यदि आवश्यक हो तो यूजीसी की पूर्व मंजूरी से सह अन्वेषक को बाद में परियोजना में शामिल किया जा सकता है। केवल मृत्यु या अपंग की स्थिति को छोड़कर, उन्हें मुख्य अन्वेषक की पात्रता नहीं मिलेगी। कोई मुख्य अन्वेषक जो देश से बाहर एसाईमेंट करना चाहता है तो उसकी सूचना यूजीसी को देनी होगी। मुख्य अन्वेषक के स्थान पर सह–अन्वेषक मुख्य अन्वेषक के रूप में कार्य करेंगे।

यदि एवार्डी को अपने मूल कार्य स्थान से दूसरे संस्था में (यूजीसी अधिनियम,1956 के अनुच्छेद 2(एफ) एवं 12 (बी)) हस्तांतरित किया जाता है तो दोनों संस्थाओं को परियोजना हस्तांतरित करने का अनापत्ति प्रमाणपत्र यह कहते हुए देना होगा कि परियोजना की अबाधता को बनाए रखने के लिए संस्था द्वारा एवार्डी को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

घ निधि से परियोजना के लिए बनाई गई सभी परिसंपत्तियॉ जिसमें उपस्कर, पुस्तकें एवं पत्रिकाएं शामिल है परियोजना समाप्त होने के बाद आतिथेय संस्था की संपत्ति बन जाएंगी। यद्यपि, परियोजना के स्थानांतरण के मामले में संबंधित परियोजना की निधि से बनाई गई परिसंपत्तियों (या भाग) को उनके अनुरोध पर यूजीसी की पूर्व मंजूरी से संबंधित संस्था में हस्तांतरित किया जा सकता है।

ड. आयोग के सहयोग से बनी परियोजना के परिणामों के प्रकाशन के लिए यूजीसी से पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सभी मामलों में, यद्यपि, परियोजना के लिए नियुक्त किए गए स्टाफ द्वारा दिए गए योगदान को अन्वेषक द्वारा अभिस्वीकार्य किया जाएगा।

च. परियोजना में नियुक्त किए परियेाजना एसोसिएट्स/परियोजना फेलो को पीएच.डी के लिए दर्ज किया जाता है। परियोजना से प्राप्त हुए आंकड़े एवं परिणामों को परियेाजना एसोसिएट्स/परियोजना फेलो द्वारा अपने शोध में सम्मिलित किया जा सकता है।

छ. किए गए कार्य की 'अंतिम रिपोर्ट' को संबंधित विभाग के पुस्तकालय और /या विश्वविद्यालय/कालेज/संस्था में रखा जाए। संस्था के मुखिया से यूजीसी को प्रमाणपत्र देना अनिवार्य है।

ज. अंतर्गत पुस्तकें एवं पत्रिकाएं और उपस्कर 'गैर–आवर्ती मदों' के अंतर्गत आएंगे और आकस्मिक व्यय, अनुसंधान कार्मिक, भाड़े की सेवाएं, केमिकल और उपभोज्य, यात्रा एवं फील्ड कार्य, विशेष जरूरतें आदि 'आवर्ती मदों' के अंतर्गत आएंगे।

झ ऐसे मामले में जहां प्रपत्र की कोई मद या कालम प्रस्ताव में छोड़ या गलत या अपेक्षित सूचना उचित ढंग से नहीं दी गई होगी तो उस प्रस्ताव को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

ञ परियोजना पर किए गए कार्य की अंतिम मूल्यांकित रिपोर्ट का सार संस्था की वेबसाइट पर डाला जाए।

ड. यदि मुख्य अन्वेषक परियोजना को पूरा करने में असफल रहते हैं तो यूजीसी को उन्हें यह कहने का अधिकार होगा कि वे मंजूर पूरी राशि को ब्याज सहित वापस करें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

मुख्य अनुसंधान परियोजना के लिए प्रस्ताव जमा करने का प्रपत्र

भाग–क

1. व्यापक विषय
2. विशेषज्ञता का क्षेत्र
3. अवधि.
4. मुख्य अन्वेषक
   - (i) नामः
   - (ii) लिंगः पु./म
   - (iii) जन्म तिथि
   - (iv) श्रेणी : (सा./अजा/अजजा/अपिव)
   - (v) योग्यता :
   - (vi) पदनामः
   - (vii) पताः

     कार्यालयः

     आवास :

     इमेलः
5. सह–अनवेषक (कों)
   - (i) नामः
   - (ii) लिंगः पु./म
   - (iii) जन्म तिथि
   - (iv) श्रेणी : (सा./अजा/अजजा/अपिव)
   - (v) योग्यता :
   - (vi) पदनामः

(vii) पताः

कार्यालयः

आवास :

इमेलः

6. सेवानिवृत्त अध्यापक के मामले में, कृपया निम्नलिखित सूचना दें :

(i) सेवानिवृत्ति की तिथिः

(ii) सेवानिवृत्ति के समय सेवानिवृत्ति की उम्रः

(iii) क्या रोजगार में हैं या नहीं

7. उस संस्था का नाम जहां परियोजना पर कार्य किया जाना है

क विभागः

ख विश्व्विद्यालय/कालेजः

ग संस्था क्या ग्रामीण/पिछड़ा वर्ग में स्थित है :

(कालेज के मामले में संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम दें)

8. क्या विश्व्विद्यालय/कालेज/संस्थान यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 2 (एफ) और 12 (बी) के अधीन मंजूरी प्राप्त है ?

हां/नहीं

9. अध्यापन एवं अनुसंधान में मुख्य अन्वेषक का अनुभव

क. अध्यापन अनुभवः

ख. अनुसंधान अनुभव

ग. डोक्टोरल डिग्री एवार्ड होने का वर्षः

घ. डोक्टोरल डिग्री के लिए शोध का नामः

ड. प्रकाशनः

i प्रकाशित पेपरः स्वीकार्यः
सूचितः

ii प्रकाशित पुस्तकेंः स्वीकार्यः
सूचितः

(कृपया पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रकाशित /स्वीकार्य पेपरों एवं पुस्तकों की सूची संलग्न करें)

भाग–ख

प्रस्तावित अनुसंधान कार्य

10. (i) परियोजना का शीर्षक

(ii) परिचय

– अनुसंधान समस्या का मूल
– अंतरविषयक संदर्भ
– विषय में अनुसंधान एवं विकास की समीक्षा

– अंतर्राष्ट्रीय स्थिति
– राष्ट्रीय स्थिति
– अध्ययन का महत्व
– सामाजिक संदर्भ या राष्ट्रीय महत्ता के क्षेत्र के ज्ञान में इसका संभाव्य अंशदान

(iii) उद्देश्य

(iv) कार्यप्रणाली

(v) वर्ष –वार योजना और पाने वाले लक्ष्य

(vi) सहयोग का विवरण, यदि कोई

11. आवश्यक वित्तीय सहायता

मद	आंकलित व्यय

मुख्य अन्वेषक

(i) अनुसंधान कार्मिक (निम्नलिखित में से कोई एक)

क. पोस्ट डोक्टोरल फेलो 12,000/– रू. प्रति माह + एचआरए की दर से

ख. प्रोजेक्ट एसोसिएट्स 10,000/– रू. प्रति माह + एचआरए की दर से

ग. पोस्ट डोक्टोरल फेलो 8,000/– रू. प्रति माह + एचआरए की दर से

(ii) भाड़े की सेवाएं

(iii) फील्ड कार्य एवं यात्रा

(iv) केमिकल एवं ग्लासवेयर

(v) आकस्मिक (विशेष आवश्यक शामिल)

(vi) सेवानिवृत्त अध्यापक को 12,000/– रू. प्रति माह

(vii) पुस्तकें एवं पत्रिकाएं:

(viii) आवश्यकता पड़ने पर उपस्करः
(प्रमात्रा सहित सन्निकट लागत एवं नाम का उल्लेख करें)

कुलः

12. क्या अध्यापक को अनुसंधान परियोजना के लिए यूजीसी की मुख्य, लघु सहायता योजना के अंतर्गत अनुसंधान के लिए या अन्य एजेंसी से सहाया मिली थी ? यदि हां तो ब्यौरा दें।

क. उस एजेंसी का नाम जिससे सहायता मंजूर हुई

ख. मंजूरी पत्र की सं. एवं तिथि जिसके द्वारा सहायता मंजूर हुई

ग. मंजूर राशि एवं उपयोग

घ. परियोजना का शीर्षक जिसके लिए सहायता मंजूर हुई

ड. ऐसे मामलों में जहां परियोजना पूरी हो गई थी, क्या परियोजना पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई।

च. यदि उम्मीदवार डोक्टोरल डिग्री के लिए कार्य कर रहा था, तब क्या डिग्री एवार्ड के लिए शोध को विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

(आवेदन के साथ 1000 शब्दों का रिपोर्ट/शोध का सार कृपया संलग्न करें)

13. (क) मुख्य अन्वेषक की पूरी या जारी परियोजना/योजना का विवरण

एजेंसी का नाम	**वर्ष**	**कुल**	**ली गई उपस्कर/बुनियादी सुविधाएं**
	प्रारंभ	**पूरी**	

(ख) प्रस्तावित योजना के लिए उपलब्ध सांस्थानिक एवं विभागीय सुविधाएं

उपस्करः

अन्य बुनियादी संस्थाएं:

14 मूल्यांकन में सहायता मिल सके इसके लिए अन्वेषक अन्य कोई सूचना प्रस्ताव के समर्थन में देना चाहते हों।

यह प्रमाणित किया जाता है कि

क विश्वविद्यालय/कालेज/संस्थान यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 2 (एफ) और 12 (बी) के अधीन मंजूरी प्राप्त है और यूजीसी से अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है।

ख. विभाग/कालेज में सामान्य भौतिक सुविधाएं जैसे फर्नीचर/स्थान आदि उपलब्ध है।

ग. उपरोक्त परियोजना के लिए मुझे/हमें यदि यूजीसी द्वारा सहायता मिलती है तो मैं/हम चलाई जा रही योजना के नियमों का पालन करेंगे।

घ. मैं/हम परियोजना को निर्धारित समयावधि में पूरा करेंगे। यदि मैं/हम ऐसा करने में असफल रहते हैं और यूजीसी अनुसंधान की प्रगति से संतुष्ट नहीं है तो आयोग परियोजना को तुरंत समाप्त कर सकता है और मुझे/हमें प्राप्त राशि वापस करने को कहा जा सकता है।

च. अन्य किसी एजेंसी द्वारा उपरोक्त अनुसंधान परियोजना को निधि नहीं दी गई है।

नाम एवं हस्ताक्षर

क मुख्य अन्वेषक

ख सह अन्वेषक

(i)

(ii)

ग रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य (मुहर सहित हस्ताक्षर)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

लघु अनुसंधान परियोजना के लिए प्रस्ताव जमा करने का प्रपत्र

भाग–क

1. व्यापक विषय
2. विशेषज्ञता का क्षेत्र
3. अवधि.
4. मुख्य अन्वेषक
   - (i) नामः
   - (ii) लिंगः पु./म
   - (iii) जन्म तिथि
   - (iv) श्रेणी : (सा./अजा/अजजा/अपिव)
   - (v) योग्यता :
   - (vi) पदनामः
   - (vii) पताः
     कार्यालयः आवास :
     इमेलः
5. सह–अनवेषक (कों)
   - (i) नामः
   - (ii) लिंगः पु./म
   - (iii) जन्म तिथि
   - (iv) श्रेणी : (सा./अजा/अजजा/अपिव)
   - (v) योग्यता :
   - (vi) पदनामः
   - (vii) पताः कार्यालयः आवास :

6. उस संस्था का नाम जहां परियोजना पर कार्य किया जाना है

क विभागः

ख विश्व़विद्यालय/कालेजः

ग संस्था क्या ग्रामीण/पिछड़ा वर्ग में स्थित है :

(कालेज के मामले में संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम दें)

7. क्या विश्व़विद्यालय/कालेज/संस्थान यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 2 (एफ) और 12 (बी) के अधीन मंजूरी प्राप्त है ?

हां/नहीं

8. अध्यापन एवं अनुसंधान में मुख्य अन्वेषक का अनुभव

क. अध्यापन अनुभवः यूजी.....वर्ष

पीजी.....वर्ष

ख. अनुसंधान अनुभव

ग. डोक्टोरल डिग्री के लिए क्या विश्वविद्यालय ने परियोजना को मंजूरी दी थी ? यदि हां तो कृपया विवरण दें

i पंजीकरण की तिथि :
ii विश्वविद्यालय द्वारा मंजूर पर्यवेक्षक का नाम एवं पदनाम
iii उस विश्वविद्यालय का नाम जहां पंजीकरण हुआ हैः

घ ऐसे मामले में जहां अध्यापक के पास डोक्टोरल डिग्री है

i शोध का नाम :
ii वर्ष जिसमें डिग्री मिली
iii विश्वविद्यालय का नाम

ड. प्रकाशनः

पेपरः	प्रकाशित स्वीकार्यः सूचितः
पुस्तकें:	प्रकाशित स्वीकार्यः सूचितः

(कृपया पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रकाशित /स्वीकार्य पेपरों एवं पुस्तकों की सूची संलग्न करें)

भाग–ख

प्रस्तावित अनुसंधान कार्य

9. (i) परियोजना का शीर्षक

(ii) परिचय

– अनुसंधान समस्या का मूल
– अंतरविषयक संदर्भ
– विषय में अनुसंधान एवं विकास की समीक्षा

– अंतर्राष्ट्रीय स्थिति
– राष्ट्रीय स्थिति
– अध्ययन का महत्व

(iii) उद्देश्य

(iv) कार्यप्रणाली

(v) वर्ष –वार योजना और पाने वाले लक्ष्य

(vi) सहयोग का विवरण, यदि कोई

10 आवश्यक वित्तीय सहायता

मद	आकलित व्यय
(i) पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	
(ii) उपस्कर, यदि जरूरत हो (कृपया कोटेशन संलग्न करें)	
(iii) फील्ड कार्य एवं यात्रा	
(iv) केमिकल एवं ग्लासवेयर	
(v) आकस्मिक (विशेष आवश्यक शामिल)	
कुलः	

11. क्या अध्यापक को अनुसंधान परियोजना के लिए यूजीसी की मुख्य, लघु सहायता योजना के अंतर्गत अनुसंधान के लिए या अन्य एजेंसी से सहाया मिली थी ? यदि हां तो ब्यौरा दें।

i उस एजेंसी का नाम जिससे सहायता मंजूर हुई

ii मंजूरी पत्र की सं. एवं तिथि जिसके द्वारा सहायता मंजूर हुई

iii मंजूर राशि एवं उपयोग

iv परियोजना का शीर्षक जिसके लिए सहायता मंजूर हुई

v ऐसे मामलों में जहां परियोजना पूरी हो गई थी, क्या परियोजना पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई।

vi यदि उम्मीदवार डोक्टोरल डिग्री के लिए कार्य कर रहा था, तब क्या डिग्री एवार्ड के लिए शोध को विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

(आवेदन के साथ 1000 शब्दों का रिपोर्ट/शोध का सार कृपया संलग्न करें)

vii यदि परियोजना/योजना पूरी नहीं हुई है तो उसके कारणों का उल्लेख करें

12. (क) मुख्य अन्वेषक की पूरी या जारी परियोजना/योजना का विवरण

एजेंसी का नाम	**वर्ष**	**कुल**	**ली गई उपस्कर/बुनियादी सुविधाएं**
	प्रारंभ	**पूरी**	

(ख) प्रस्तावित योजना के लिए उपलब्ध सांस्थानिक एवं विभागीय सुविधाएं

उपस्करः

अन्य बुनियादी संस्थाएंः

13. मूल्यांकन में सहायता मिल सके इसके लिए अन्वेषक अन्य कोई सूचना प्रस्ताव के समर्थन में देना चाहते हों।

यह प्रमाणित किया जाता है कि

क विश्वविद्यालय/कालेज/संस्थान यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 2 (एफ) और 12 (बी) के अधीन मंजूरी प्राप्त है और यूजीसी से अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है।

ख. विभाग/कालेज में सामान्य भौतिक सुविधाएं जैसे फर्नीचर/स्थान आदि उपलब्ध है।

ग. उपरोक्त परियोजना के लिए मुझे/हमें यदि यूजीसी द्वारा सहायता मिलती है तो मैं/हम चलाई जा रही योजना के नियमों का पालन करेंगे।

घ. मैं/हम परियोजना को निर्धारित समयावधि में पूरा करेंगे। यदि मैं/हम ऐसा करने में असफल रहते हैं और यूजीसी अनुसंधान की प्रगति से संतुष्ट नहीं है तो आयोग परियोजना को तुरंत समाप्त कर सकता है और मुझे/हमें प्राप्त राशि वापस करने को कहा जा सकता है।

ड. अन्य किसी एजेंसी द्वारा उपरोक्त अनुसंधान परियोजना को निधि नहीं दी गई है।

नाम एवं हस्ताक्षर

क मुख्य अन्वेषक

ख सह अन्वेषक

(i)

(ii)

ग रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य (मुहर सहित हस्ताक्षर)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली–110002

मुख्य/लघु अनुसंधान परियोजना पर किए गए कार्य की वार्षिक/अंतिम रिपोर्ट
(प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट जमा कराई जाए)

1. परियोजना रिपोर्ट सं. 1/2/3/अंतिम.....

2. यूजीसी संदर्भ सं. .....

3. रिपोर्ट की अवधि से.....तक.....

4. अनुसंधान परियोजना का शीर्षक.....

5. क मुख्य अन्वेषक का नाम.....

   ख विभाग एवं विश्वविद्यालय/कालेज जहां कार्य में प्रगति हुई.....
   .....

6. परियोजना शुरू होने की प्रभावी तिथि.....

7. रिपोर्ट की अवधि के दौरान मंजूर अनुदान एवं व्यय की गई राशि :

क. कुल मंजूर राशि रू.....

ख. कुल व्यय रू.....

   i परियोजना का संक्षिप्त उद्देश्य.....

   ii अब तक किया गया कार्य और प्राप्त परिणाम एवं प्रकाशन, यदि कोई कार्य से प्राप्त परिणाम (पेपर का विवरण एवं पत्रिका का नाम जिसमें यह प्रकाशित हुआ हो या प्रकाशन के लिए स्वीकार किया गया हो)

---

iii क्या प्रगति मूल कार्य परियोजना एवं उद्देश्य को पाने के अनुरूप है। यदि नहीं, तो उसका विवरण दें।

iv कृपया परियोजना को लागू करने में आई कठिनाईयों का ब्योरा दें यदि कोई हो .....

v यदि परियोजना पूरी नहीं हुई है तो उसे पूरा होने में लगने वाला समय का ब्योरा दें। अवधि (वार्षिक आधार पर) के लिए किए गए कार्य का सार आयोग को पृथक शीट पर पर भेजें.....

vi यदि परियोजना पूरी हो गई है तो कृपया अध्ययन के निष्कर्षों का सार संलग्न करें। किए गए कार्य की अंतिम रिपोर्ट की दो जिल्द कापियां को भेजी जाए .....

vii परियोजना पर किए गए कार्य का मूल्यांकन करने में सहायक अन्य कोई सूचना। परियोजना की समाप्ति पर, पहली रिपोर्ट में निर्गत जैसे (क) प्रशिक्षित संसाधन (ख) दी गई पीएच.डी (ग) प्रकाशन के परिणाम (घ) नहीं अन्य प्रभाव यदि कोई

.....

मुख्य अन्वेषक के हस्ताक्षर **रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य**

सह–अन्वेषक के हस्ताक्षर

अनुबंध–IV

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली–110002

उपयोग प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मंजूरी पत्र सं.....दिनांक..... द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से.....शीर्षक का मुख्य अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत प्राप्त सहयोग की ..... (रू.....की राशि) का पूरा उपयोग जिस प्रयोजन के लिए मंजूर किया गया था तथा विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सेवा शर्तों के अनुसार कर लिया गया है।

मुख्य अन्वेषक के हस्ताक्षर **रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य** **सांविधिक लेखापरीक्षक**

सह–अन्वेषक के हस्ताक्षर

अनुबंध–V

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली–110002

मुख्य/लघु अनुसंधान परियोजना के व्यय का विवरण

1. मुख्य अन्वेषक का नाम.....

2. विश्वविद्यालय/कालेज .....

3. यूजीसी मंजूरी सं. एवं तिथि.....

4. अनुसंधान परियोजना का शीर्षक.....

5. परियोजना शुरू होने की प्रभावी तिथि .....

6. क. व्यय की अवधि से.....तक.....

   ख. व्यय का विवरण .....

क्र.सं.	मद	मंजूर राशि रू.	खर्च हुई राशि रू.
i	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं		
ii	उपस्कर (कृपया कोटेशन संलग्न करें)		
iii	आकस्मिक व्यय		
iv	फील्ड कार्य/यात्रा (अनुबंध– VI पर उपलब्ध ब्यौरा)		
v	भाड़े पर ली गईं सेवाएं		
vi	केमिकल एवं ग्लासवेयर		
Vii	उपरीव्यय		
viii	अन्य कोई मदें (कृपया विनिदृष्ट करें)		

ग. स्टाफ

नियुक्ति की स्थिति.....

क्र सं.	खर्च की गई राशि	से तक	मंजूर राशि (रू.)	खर्च की राशि (रू.)
1.	मुख्य अन्वेषक को मानदेय (सेवानिवृत्त) 12,000/–रू. प्र.म. की दर से			
2.	पोस्ट डोक्टोरल फेलो फेलोशिप 12,000/–रू.प्र.म. की दर से			
3	प्रोजेक्ट एसोसिएट्स 10,000/–रू. प्र.म. की दर से वेतन			
4	प्रोजेक्ट फेलो 8,000/–रू.प्र.म. की दर से वेतन			

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि आयोग द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों के अनुसार इनकी नियुक्ति की गई है।

2. जांच या लेखापरीक्षक के परिणामस्वरूप, बाद में कुछ अनियमितता सामने आने पर, वापसी, समायोन या आपत्तिजनक राशि को नियमित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। विभाग एवं विश्वविद्यालय/कालेज जहां कार्य में प्रगति हुई

3. अत्तिरिक्त राशि की उपलब्धता पर संशोधित दरों पर बकाया सहित भुगतान किया जाएगा।

4. प्रमाणित किया जाता है कि मंजूरी पत्र सं.....दिनांक..... द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से.....शीर्षक का मुख्य अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत प्राप्त सहयोग की ..... (रू.....की राशि) का पूरा उपयोग जिस प्रयोजन के लिए मंजूर किया गया था तथा विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सेवा शर्तों के अनुसार कर लिया गया है।

मुख्य अन्वेषक के हस्ताक्षर रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य सांविधिक लेखापरीक्षक

सह–अन्वेषक के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली–110002

फील्ड कार्य पर हुए व्यय का विवरण

मुख्य अन्वेषक का नाम

दौरा किए स्थान का नाम	दौरा अवधि		यात्रा का प्रकार	खर्च की गई राशि (रू.)
	से	तक		

यह सत्यापित किया जाता है कि मुख्य अनुसंधान परियोजना पर खर्च यूजीसी के मानकों के अनुसार किया गया है।

मुख्य अन्वेषक के हस्ताक्षर **रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य**

सह–अन्वेषक के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली–110002

अनुसंधान परियोजना के लिए स्वीकृतति प्रमाणपत्र

नाम.....
सं.एफ .....दिनांक.....

परियोजना का शीर्षक .....

1. अनुसंधान परियोजना को अन्य किसी एजेंसी द्वारा सहायता नहीं दी गई है।

2. मुख्य अन्वेषक और विश्वविद्यालय/कालेज/संस्थान को अनुदान से संबंधित सेवा–शर्तें शामिल है।

3. वर्तमान में, मेरे पास यूजीसी द्वारा मंजूर कोई अनुसंधान परियोजना नहीं है एवं पूर्व परियोजना के लेखे यदि कोई है तो उन्हें समायोजित कर दिया गया है।

4. यूजीसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कालेज/विश्वविद्यालय उपयुक्त है और वे यूजीसी द्वारा तैयार की गई सूची में शामिल है।

5. मुख्य अन्वेषक सेवानिवृत्त अध्यापक है और वे मानदेय पाने के पात्र हैं क्योंकि उन्हें न तो किसी एजेंसी से मानदेय मिल रहा है और न ही वे किसी जगह रोजगार में हैं।

6. उनकी जन्मतिथि ..... है।

7. परियोजना को लागू करने की तिथि .....है।

मुख्य अन्वेषक

सह अन्वेषक

रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य

विश्वविद्यालय/कालेज

तिथिः

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली–110002

परियोजना पर किए गए कार्य की अंतिम रिपोर्ट भेजने के समय सूचना देने का प्रपत्र

1. मुख्य अन्वेषक का नाम एवं पता.....
2. संस्था का नाम एवं पता.....
3. यूजीसी मंजूरी सं. एवं तिथि.....
4. क्रियान्वयन की तिथि.....
5. परियोजना की अवधि.....
6. आवंटित कुल अनुदान.....
7. कुल प्राप्त अनुदान.....
8. अंतिम व्यय.....
9. परियोजना का शीर्षक.....
10. परियोजना का उद्देश्य.....
11. क्या उद्देश्य पूरे किए गए.....
    (ब्योरा दें)
12. परियोजना से उपलब्धियां.....
13. निष्कर्षों का सार.....
    (500 शब्दों में)
14. सोसायटी को अंशदान.....
    (ब्योरा दें)
15. परियोजना से .....से कोई पीएच.डी. दर्ज/उत्पादित हुआ
16. परियोजना से निकले प्रकाश्नों की सं.....
    (कृपया री प्रिंट साथ लगाएं)

(मुख्य अन्वेषक) **(रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य)**

(सह अन्वेषक)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली–110002

मुख्य अनुसंधान परियोजना योजना के अंतर्गत नियुक्त किए गए स्टाफ की सूचना देने का प्रपत्र

यूजीसी फाइल सं. एफ.....एचआरपी प्रारंभ वर्ष

परियोजना का शीर्षकः

1	मुख्य अन्वेषक का नाम	प्रो./डा.				
2	विश्वविद्यालय/कालेज का नाम					
3	अनुसंधान कार्मिक का नाम नियुक्त					
4	शैक्षिक अर्हता	क्र.सं.	अर्हता	वर्ष	अंक	प्रति.
		1	एम.ए./एम.एससी./एम.टेक.			
		2	एम.फिल			
		3	पीएच.डी.			
5	कार्यग्रहण की तिथि					
6	अनुसंधान कार्मिक की जन्म तिथि					
7	एचआरए की राशि, यदि आहरित किया गया हो					
8	पद के लिए आवेदित उम्मीदवारों की संख्या					

<u>प्रमाणपत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि यूजीसी के मुख्य अनुसंधान योजना में उपलब्ध नियम एवं विनियम तथा दिशानिर्देश में दी गई रूपरेखा का अनुपालन किया गया है। विश्वविद्यालय के पक्ष में किसी प्रकार का व्यपगत पाए जाने पर यूजीसी की उपरोक्त परियोजना को समाप्त कर दिया जाएगा।

मुख्य अन्वेषक विभागाध्यक्ष रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली–110002

पोस्ट डोक्टोरल फेलो/परियोजना एसोसिएट्स/परियोजना फेलो के लिए मुख्य अनुसंधान परियोजना हेतु गृह किराया का नमूना

यह सत्यापित किया जाता है कि श्री/डा.....द्वारा ..... की राशि का गृह किराया दिया जा रहा है और वे विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार..... .....की दर से गृह किराया भत्ता पाने के पात्र हैं।

रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य
(मुहर सहित हस्ताक्षर)

यह सत्यापित किया जाता है कि श्री/डा.....स्वतंत्र रूप से नहीं रह रहे हैं इसलिए वे विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार.....की दर से गृह किराया भत्ता पाने के पात्र हैं।

रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य
(मुहर सहित हस्ताक्षर)

यह सत्यापित किया जाता है कि श्री/डा.....को हॉस्टल में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लेकिन उन्हें आयोग द्वारा संस्तुत सिंगल सीटेड फ्लैट का आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसलिए उनसे .....की दर से हॉस्टल फीस.....माह के तुरंत प्रभाव से ली जा रही है।

रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य
(मुहर सहित हस्ताक्षर)

मुख्य अनुसंधान परियोजना योजना के अंतर्गत नियुक्त किए गए स्टाफ की सूचना देने का प्रपत्र

यूजीसी क्षेत्रीय कार्यालय की सूची

यूजीसीः दक्षिण–पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय

डा. जी.एस. चौहान
शिक्षा अधिकारी
पीबी सं. 152,ए.पी.एस.एफ.सी. बिल्डिंग–IV थी मंजिल –5–9–194
चिराग अली लेन,
हैदराबाद– 500001 (ए.पी.)

यूजीसीः पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय

डा. जी. श्रीनिवास
उप सचिव
गणेशकाइंड, पुणा विश्वविद्यालय कैंपस
पुणा– 411007 (ए.महाराष्ट्र)

यूजीसीः केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय

डा. (श्रीमती) अलका व्यास
शिक्षा अधिकारी
तवा कांपलेक्स, बिट्टन मार्किट
इ–5, अरेरा कालोनी,
भोपाल–462016 (एम.पी.)

यूजीसीः उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय

डा. (श्रीमती) एच. के. चौहान
संयुक्त निदेशक
35– फिरोज शाह रोड नई दिल्ली–110001

यूजीसीः उत्तरी–पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय

एस.सी रे
उप सचिव
तीसरी मंजिल, हाउस फेड, रेंटल ब्लॉक–5
बेल्टोला–बसिसथा रोड,
दिसपुर गुवाहाटी–781006 (असम)

यूजीसीः पूर्वीय–उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय

डा. सुश्री रत्नाबाली बेनर्जी
संयुक्त सचिव
एलबी–8, सेक्टर–III, साल्ट लेक,
कोलकोता–700098 (पं.बंगाल)

यूजीसीः दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय

डा. (श्रीमती) मंजू सिंह
उप सचिव
प्रशांत कुमार ब्लोक, प्लेस रोड,
बंगलौर–560009 (कर्नाटक)